



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 390] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 1977/अग्रहायणा 16, 1899

No. 390] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 1977/AGRAHAYANA 16, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December 1977

G.S.R. 734(Er.—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely:—

1. (i) These rules may be called the Passports (Second Amendment) Rules, 1977.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule 1 to the Passports Rules, 1967:—

(i) in the entries against serial No. 1, after the existing items, the following item shall be inserted:

“(d) Superintendent, Bombay (Regional Passport and Emigration Office, Bombay —do—”

(ii) in the entries against serial No. 2, after the existing items, the following item shall be inserted:

“(d) Superintendent Ahmedabad (Regional Passport Office, Ahmedabad) —do—”

(iii) in the entries against serial No. 3, after the existing items, the following item shall be inserted:

- “(c) Superintendent, Calcutta (Regional Passport and Emigration Office, Calcutta) —do— ”
- (iv) in the entries against serial No. 4, after the existing items, the following item shall be inserted:
- “(d) Superintendent, Delhi (Regional Passport and Emigration Office, Delhi) —do— ”
- (v) in the entries against serial No. 5, after the existing items, the following item shall be inserted:
- “(d) Superintendent, Chandigarh (Regional Passport Office, Chandigarh) —do— ”
- (vi) in the entries against serial No. 6, after the existing items, the following item shall be inserted:
- “(c) Superintendent, Lucknow (Regional Passport Office, Lucknow) —do— ”
- (vii) in the entries against serial No. 7, after the existing items, the following item shall be inserted:
- “(d) Superintendent, Madras (Regional Passport and Emigration Office, Madras) —do— ”
- (viii) in the entries against serial No. 8, after the existing items, the following item shall be inserted:
- “(d) Superintendent, Ernakulam (Regional Passport and Emigration Office, Ernakulam) —do— ”
- (ix) in the entries against serial No. 9, after the existing items, the following item shall be inserted:
- “(d) Superintendent, Hyderabad (Regional Passport Office, Hyderabad) —do— ”

[No. VI/401/57/77]

L. N. RANGARAJAN, Jt. Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिवम्बर, 1977

सं०का०नि० 734(अ) —पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इसके द्वारा, पासपोर्ट नियम, 1967 में संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम और बनाती है, यथा :—

- 1 (i) ये नियम पासपोर्ट नियम, 1977 (द्वितीय संशोधन) कहलायेंगे।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2 पासपोर्ट नियम, 1967 की अनुसूचा 1 में —
 - (i) क्रम सं० 1 की प्रविष्टियों में वर्तमान मदों के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी .

“(घ) अधीक्षक, बम्बई —वही— ”

(क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय, बम्बई)
 - (ii) क्रम सं० 2 की प्रविष्टियों में वर्तमान मदों के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी .—

“(घ) अधीक्षक, अहमदाबाद —वही— ”

(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद)

(iii) क्रम सं० 3 की प्रविष्टियों में वर्तमान मद के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी —

“(ग) अधीक्षक, कलकत्ता —वही— ”
(क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय, कलकत्ता)

(iv) क्रम सं० 4 की प्रविष्टियों में वर्तमान मद के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी —

“(घ) अधीक्षक, दिल्ली —वही— ”
(क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय, दिल्ली)

(v) क्रम सं० 5 की प्रविष्टियों में वर्तमान मद के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी —

“(घ) अधीक्षक, चंडीगढ़ —वही— ”
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़)

(vi) क्रम सं० 6 की प्रविष्टियों में वर्तमान मद के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी —

“(ग) अधीक्षक, लखनऊ —वही— ”
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ)

(vii) क्रम सं० 7 की प्रविष्टियों में वर्तमान मद के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी :—

“(घ) अधीक्षक, मद्रास —वही— ”
(क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय, मद्रास)

(viii) क्रम सं० 8 की प्रविष्टियों में वर्तमान मद के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी —

“(घ) अधीक्षक, अर्नाकुलम —वही— ”
(क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास कार्यालय, अर्नाकुलम)

(ix) क्रम सं० 9 की प्रविष्टियों में वर्तमान मद के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी —

“(घ) अधीक्षक, हैदराबाद —वही— ”

(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद)

[सं० VI/401/57/77]

एल० एन० रगराजन, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

